भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5695

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2017/17 चैत्र, 1939 (शक) को दिया गया)

सीएसआर

5695. श्री नलीन कुमार कटीलः
श्री राम कुमार शर्माः
श्री डी.के. सुरेशः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने लाभ का दो प्रतिशत सामाजिक कल्याण पर खर्च करें; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक टर्नओवर, या निवल मूल्य, या निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी द्वारा तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभों का कम से कम दो प्रतिशत इस अधिनियम की अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर व्यय करना अनिवार्य है।

*****